फर्द अहकाम

...य अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर
कैलाश बनाम राजेन्द्र कुमार

वर्ष 58/2024 : ______/20______

आज्ञा ...ाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रतिवादी सं० 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। आगामी पत्रावली बहस प्रा० पत्र O-7 R 11 CPC हेतु दिनांक 26/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
...24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस O 7 R 11 CPC हेतु दि० 18/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
...24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस प्रार्थना पत्र O 7 R 11 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
31/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हो।	
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील प्रार्थी/प्रति. सं. 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र O 7 R 11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र O 7 R 11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन —लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:31 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय

कैलाश बनाम राजेन्द्र

मुकदमा संख्या / वर्ष 58/2024 : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/8/24	किया गया है। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रा0पत्र 07R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा0पत्र 07R11 को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रा0पत्र 07R11 CPC व जवाब प्रा0पत्र 07R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 55 के विभाजन के संबंध मे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा एक अन्य पूर्व वाद संख्या 85/2023 उनवान राजेन्द्र कुमार बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मे दिनांक 24/1/24 को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। तदुपरान्त वाद मे कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाद मे अन्तिम रूप से दिनांक 15/3/24 को निर्णय व डिक्री किया जा चुका है वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 55 के विभाजन के संबंध मे उपरोक्त पूर्व वाद मे अन्तिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित होने के उपरान्त पुनः विभाजन वाद प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत नही है उक्त वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर बार्ड बॉय लॉ है तथा वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत विभाजन आराजी ख0न0 55 रकबा 1.12 है वाके ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर को खारिज किया जाता है। पचा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अण्डरटेकिंग

न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

कैलाश व अन्य

बनाम

राजेन्द्र कुमार व अन्य /2024

...ल/निगरानी/प्रार्थना पत्र धारा/वाद संख्या

...का नाम कैलाश

...नाम श्री स्व. मूलचन्द

...निवासी रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तह0 सांगानेर जयपुर

...आईडी

...के अधिवक्ता का नाम हेमचन्द बैरवा / धर्मराज [illegible]

...के अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर 9414076126

सत्यापन

मैं कैलाश पुत्र मूलचन्द रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तह0 सांगानेर जयपुर ... अण्डरटेकिंग देता हूँ कि भविष्य में उक्त विवरण ...भी प्रकार का परिवर्तन करने पर न्यायालय को सूचित कर दूँगा।

21/8/24

हस्ताक्षर

...21 राधेश्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:31 IST
Reason: SelfAttested